माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय
Office of the Principal Chief Commissioner of GST & Central Excise
तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी, चेन्नई अंचल
Tamil Nadu & Puducherry, Chennai Zone
जी एस टी भवन, सं. 26/1, महात्मा गांधी रोड, चेन्नई – 600 034
GST Bhawan, No.26/1, Mahatma Gandhi Road, Chennai –600 034
ई-मेल / Email: ccaestt-prcco@gov.in/cca.estt.section2@gmail.com
दूरभाष / Ph: 28331011 फैक्स / Fax: 044-28331015

फा. सं./File No.: GCCO/II/3 /63/2023-CCAESTT-O/o Pr CC-CGST-ZONE-CHENNAI

आदेश सं. / ORDER NO.34/2025

विषय: स्था. - वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यकारी सहायक के पद हेतु भर्ती - कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा, 2024 के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों का आबंटन।

Sub: Estt. - Recruitment to the post of Executive Assistant of GST & Central Excise Allocation of candidates on the basis of result of the Combined Graduate Level Examination, 2024, conducted by SSC - Reg.

****

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2024 के परिणाम के आधार पर की गई अनुसंशा और बोर्ड के पत्र फा. सं. ए.12034/02/2024-एडी.III(बी) अनुभाग-सीबीईसी, दिनांक 08.04.2024 के माध्यम से कार्यकारी सहायक के पद पर माल और सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तमिलनाड एवं पुदुच्चेरी अंचल को आबंटित निम्नलिखित अभ्यार्थियों को प्रवेशिक वेतन रु .35,400) -/7 वें वेतन आयोग के वेतन मेट्रक्स स्तर 6, इंडेक्स 1) के साथ समय समय पर स्वीकार्य भत्ते में कार्यकारी सहायक (माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) पद हेतु प्रावधिक नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है और चेन्नई संवर्ग नियंत्रण अंचल के निम्नलिखित माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तलाय में निम्नानुसार तैनात किया जाता है: -

The following candidates recommended by the Staff Selection Commission on the basis of result of Combined Graduate Level Examination, 2024 and allocated to the GST & Central Excise, Tamil Nadu & Puducherry Zone for the post of Executive Assistant vide Board's letter F.No.A.12034/2/2024 - Ad.III.B Section-CBEC dated 08.04.2025 are hereby appointed as Executive Assistant (GST & Central Excise) provisionally in the entry pay of Rs. 35,400/- (Level 6, Index 1 in pay matrix of 7th Pay Commission) plus allowances admissible from time to time and are posted to the following Commissionerates in GST & Central Excise of Chennai Cadre Control Zone as indicated below:

सी. त्यागराजन, भा.रा.से.
C. THIYAGARAJAN, I.R.S.
अपर आयुक्त
Additional Commissioner

S. NO.	ROLL NO.	RANK NO. SL/II	NAME (S/Shri/ Smt./Ms.)	DATE OF BIRTH	CAT SEL.	DGHRD ORDER NO.	POSTED TO
1	9001007258	SL\II\03126	KEERTHANA P	26-05-1998	UR	Chennai GST & CX/Coimbatore/ EXECUTIVE ASSISTANT/100371	COIMBATORE GST
2	8204002735	SL\II\04374	ANTO S	19-07-2001	OBC	Chennai GST & CX/MADURAI/EXECUTIVE ASSISTANT/100186	MADURAI GST
3	8008033657	SL\II\05307	BODDU NAGENDRA	12-12-1998	OBC	Chennai GST & CX/CHENNAI SOUTH/EXECUTIVE ASSISTANT/100187	CHENNAI SOUTH
4	8201013018	SL\II\05311	VANISRI D	19-06-2001	OBC	Chennai GST & CX/CHENNAI OUTER/EXECUTIVE ASSISTANT/100133	CHENNAI OUTER
5	4410047035	SL\II\12709	SUSMITA MONDAL	31-07-1999	SC	Chennai GST & CX/CHENNAI NORTH/EXECUTIVE ASSISTANT/100169	CHENNAI NORTH
6	8205000972	SL\II\12750	NIRMAL KUMAR P	16-01-1996	SC	Chennai GST & CX/TRICHY/EXECUTIVE ASSISTANT/100323	TRICHY GST

2. अभ्यर्थियों को माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नई संवर्ग नियंत्रण अंचल के जिस आयुक्त कार्यालय में रिपोर्ट करना है, उस आयुक्त कार्यालय का पता संदर्भ हेतु संलग्न है ।

The address of the GST & Central Excise Commissionerates, Chennai Cadre Control Zone where the candidate has to report is as follows:

S. No.	Commissionerate Name	Address	Contact No.	Email-ID
1	CHENNAI NORTH	O/o The Commissioner of GST & Central Excise, Chennai North Commissionerate, 26/1 Mahatma Gandhi	044-28335021	commr-cexchn1[at]nic[dot]in

सी. त्यागराजन, भा.रा.से.
C. THIYAGARAJAN, I.R.S.
अपर आयुक्त
Additional Commissioner

		Road, Nungambakkam, Chennai-600034		
2	CHENNAI SOUTH	O/o The Commissioner of GST & Central Excise, Chennai South Commissionerate, 692, MHU Complex, Anna Salai, Nandanam, Chennai - 600035.	044-24337705	commr-gstsouth[at]gov[dot]in commrgstsouth[at]nic[dot]in
3	CHENNAI OUTER	O/o The Commissioner of GST & Central Excise, Chennai Outer Commissionerate, Newry Towers, No.2054 - I, II Avenue, Anna Nagar, Chennai-600040.	044-26207700	gst.chennaiouter[at]gov[dot]in
4	COIMBATORE GST	O/o the Principal Commissioner of GST & Central Excise, Coimbatore Commissionerate, 6/7 ATD Street, Race Course Road, Coimbatore - 641018	0422-2225504	Cexcoimb[at]nic[dot]in
5	TRICHY GST	O/o the Commissioner of GST & Central Excise, Trichy GST Commissionerate, No.1 Williams Road, Cantonment, Trichy - 620001	0431-2410929	trichy-cgst[at]gov[dot]in
6	MADURAI GST	O/o the Commissioner of GST & Central Excise, Madurai Commissionerate, Central Revenue Buildings, Bibikulam, Madurai - 625002	0452-2531822	cexmadurai24[at]nic[dot]in

3. यह नियुक्ति आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है ।

This appointment order is subject to the following conditions.

4. केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के अनुसार उनकी सेवाएँ, किसी एक की ओर से एक महीने की नोटिस पर, बिना कोई कारण बताएँ, समापनीय होंगी । तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार है कि उन्हें नाटिस की अवधि के लिए अथवा उस अवधि के असमाप्त हिस्से के लिए वेतन और भत्ते के बराबर की राशि का भुगतान करके उनकी सेवाओं को वह तत्काल समाप्त करें अथवा नोटिस की निर्धारित अवधि की

सी. त्यागराजन, भा.रा.से.
C. THIYAGARAJAN, I.R.S.
अपर आयुक्त
Additional Commissioner

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST AND CENTRAL EXCISE TAMILNADU AND PUDUCHERRY CHENNAI-600 034

समाप्ति से पहले समाप्त करें । **अभ्यर्थी केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 द्वारा नियंत्रित होंगे ।**

The services of the candidates will be terminable on one month's notice from either side in accordance with the Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965, without assigning any reasons. The Appointing Authority, however, reserves the right of terminating their services forthwith or before the expiration of the stipulated period of notice by making payment to them of a sum equivalent to the pay and allowances for the period of notice or the unexpired portion thereof. **The candidates will be governed by the provisions of the CCS (Conduct) Rules, 1964.**

5. वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर इस अवधि को बढाया जा सकता है । परिवीक्षा-काल को संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उपरोक्त पद में उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा । **यदि कोई कर्मचारी नियमों के तहत अनुमेय किसी भी प्रकार की छुट्टी लेने के कारण परिवीक्षा के लिए निर्धारित कुल अवधि का 75% पूरा नहीं करता है, तो परिवीक्षा अवधि को ली गई छुट्टी की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है, परंतु परिवीक्षा की निर्धारित अवधि के दोगुने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 मार्च 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/3/2018-स्था.(सी) के अंतर्गत जारी अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा ।**

The candidates will be on probation for two years from the date of appointment, the period of which may be extended at the discretion of the Competent Authority. On completion of the probation period satisfactorily, they will be considered for confirmation in the said post. **If an employee does not complete 75% of the total duration prescribed for probation on account of availing any kind of leave as permissible under the Rules, the probation period may be extended by the length of the leave availed, but not exceeding double the prescribed period of probation. Strict compliance will be adhered to the instructions under DoPT's OM No.28020/3/2018-Estt.(C) dated 11th March 2019.**

6. **आधिकारिक रूप से आयोजित न किए जाने वाले या अनुशासनहीन माने जाने वाले किसी प्रकार के कार्यकलापों में उन्हें भाग नहीं लेना चाहिए।**

The Candidate shall not indulge in activities not officially organized or in any manner considered as indiscipline.

7.अभ्यर्थियों को दो वर्षों के अंदर निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, ऐसा न करने पर वे आगे वेतनवृद्धियों का आहरण करने के पात्र नहीं होंगे तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यकारी सहायक की ग्रेड में स्थायी रूप से उनके प्रतिधारण के संबंध में भी विचार नहीं किया जाएगा ।

The candidates should pass the prescribed Departmental Examination within two years, failing which they will not be eligible to draw further increments and will not be considered for permanent retention in the grade of Executive Assistant of GST & Central Excise.

सी. त्यागराजन, भा.रा.से.
C. THIYAGARAJAN, I.R.S.
अपर आयुक्त
Additional Commissioner

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST AND CENTRAL EXCISE
TAMILNADU AND PUDUCHERRY
CHENNAI-600 034

8.**माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यकारी सहायक के ग्रेड में अभ्यर्थी की वरिष्ठता लागू आदेशों के अनुसार तय की जाएगी ।**

The seniority of the candidate in the grade of Executive Assistant of GST & Central Excise will be fixed as per the orders in force.

9.छुट्टी, यात्रा भत्ते तथा सेवा-शर्तों से संबंधित सभी अन्य मामलों के संबंध में, वे लोक-सेवा की जिस शाखा के हैं, उसके लिए अनुप्रयोज्य तथा समय-समय पर लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा नियंत्रित रहेंगे ।

With regard to Leave, Travelling Allowances and all other matters connected with service conditions, they will be governed by the rules and orders in force from time to time and applicable to the branch of public service to which the candidate may belong.

10. वे जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयुक्त के संवर्ग नियंत्रण क्षेत्राधिकार के भीतर कहीं भी तैनात और स्थानांतरित होने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

The Candidates will be liable to be posted and transferred anywhere within the Cadre Control jurisdiction of the Principal Chief Commissioner of GST & Central Excise, Tamilnadu and Puducherry Zone.

11.यदि वे स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या तीन वर्ष की अस्थायी सेवा पूरी नहीं की हैं, तो वे उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे ।

The Candidates will not be entitled to Travelling Allowance for joining the post unless they are permanent Government servants or have completed three years of temporary service.

12. सरकारी कर्मचारियों तथा अन्यों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा / साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर केन्द्र सरकार के पदों में नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा राज्य सरकार के स्थायी / अनंतिम स्थायी कर्मचारी **केन्द्रीय सिविल सेवा (कार्यभार ग्रहण अवधि) नियमावली, 1979** के अध्याधीन कार्यग्रहण अवधि के हकदार होगें । लेकिन **3** वर्षों की नियमित सेवा पूरा न करने वाले केन्द्र सरकार के अस्थायी कर्मचारी, कार्यग्रहण अवधि के लिए तो हकदार हैं, पर कार्यग्रहण अवधि वेतन के लिए हकदार नहीं हैं ।

For appointment to posts under the Central Government on the results of a competitive examination/ or interview open to Government servants and others, Central Government employees and permanent / provisionally permanent State Government employees will be entitled to joining time under **CCS (Joining Time) Rules, 1979**. But temporary employees of the Central Government who have not completed 3 years of regular continuous service entitled to joining time, would not be entitled to joining time pay.

सी. त्यागराजन, भा.रा.से.
C. THIYAGARAJAN, I.R.S.
अपर आयुक्त
Additional Commissioner

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST AND CENTRAL EXCISE * TAMILNADU AND PUDUCHERRY * CHENNAI-600 034 *

13.अगर उम्मीदवार रोजगार हेतु पहले ही किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन दे चुके हैं / परीक्षा में बैठ चुके है तो उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करते समय यह सूचना भी देनी चाहिए। विभाग प्रमुख को आवेदन पत्र को आगे अन्य सरकारी कार्यालयों या कहीं और अग्रेषित करने या रोक लगाने का पूर्ण अधिकार होगा ।

The candidates should also intimate at the time of reporting for duty, if they had already applied for / appeared in any other competitive examination for employment. The Head of the Department has full discretion to forward or withhold any of their applications for appointment to other Government Offices or elsewhere.

14.कार्यग्रहण करने पर उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा-शपथ लेनी होगी या इस आशय का सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा करना होगा ।

On joining the post, they will be required to take an Oath of Allegiance to the Constitution of India or have to make a solemn affirmation to that effect.

15.अगर वे पहले से नौकरी में हैं तो उन्हें नियोक्ता द्वारा दिए गए कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा।

If they are already employed, the candidates should produce a relieving order/ discharge certificate, etc. from the previous employer.

16. इस विभाग में नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने के समय अपने गृह नगर, वैवाहिक स्थिति और पारिवारिक विवरण लिखित रूप में घोषित करना होगा ।

Candidate appointed in this department should declare his/her Home Town, Marital Status and Family Details in writing at the time of joining duty.

17.अगर वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होने का दावा करते हैं, तो निर्धारित प्रपत्र में (यथानिर्धारित गृह मंत्रालय के दिनांक 28.01.1952 के का.ज्ञा.सं. 42/21/49-एन.जी.एस. में यथासंशोधित / कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.07.1997 का का.ज्ञा. सं. 36033/28/94 में यथाप्रयोज्य), उसमें उल्लिखित किसी न्यायिक / राजस्व प्राधिकारी द्वारा, जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । उन्हें नोट करना होगा कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है तथा उचित माध्यम द्वारा जाति / जनजाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्यधीन है । अगर अनुसूचति जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग अथवा नॉन क्रीमी लेयर / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होने का दावा गलत पाया जाता है तो उनकी सेवाएं, किसी कारण दिए बिना तथा गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत आगे की जाने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी। नियुक्ति के बाद, उनके धर्म का अगर परिवर्तन होता है तो, उसकी सूचना संबंधित नियुक्ति / प्रशासनिक प्राधिकारी को तत्काल देनी चाहिए ।

सी. त्यागराजन, भा.रा.से.
C. THIYAGARAJAN, I.R.S.
अपर आयुक्त
Additional Commissioner

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST AND CENTRAL EXCISE TAMILNADU AND PUDUCHERRY CHENNAI-600 034

If the candidates claims to belong to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other backward Classes, Economically Weaker Section, they have to produce a certificate issued in the prescribed format (as prescribed in M.H.A O.M. No 42/21/49-N.G.S, dated 28.01.1952 as amended / DOPT O.M .No. 36033/28/94-Estt (Res) dated 02.07.1997 as applicable) by any of the Judicial / Revenue Authorities mentioned therein. They should note that their appointment will be provisional and is subject to verification of the Caste / Tribe certificate through proper channels and that if the claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or not to belong to creamy layer is found to be false, their services will be terminated forthwith without assigning any reason and without prejudice to such further action that may be taken under the Indian Penal Code for production of false certificate. They should also intimate the change, if any, of their religion, after appointment, immediately to the Appointing / Administrative Authorities concerned.

18.भारत सरकार के अधीन सेवाओं में भर्ती के लिए चालू सुसंगत नियमों के अनुसरण में,

In accordance with the relevant rules in force in regard to the recruitment to services under the Government of India,

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है या जो, एक पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, हालांकि पत्नी के जीवन-काल में घटित होने के कारण वह विवाह अमान्य हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति के संबंध में उपर्युक्त नियम के लागू होने से छूट दे सकती हैं, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं ।

(a) No person who has more than one wife living or who, having a spouse living, contracts to a second marriage, though such marriage is void by reason of it taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to service, provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

(ख) कोई ऐसी स्त्री, जिसकी शादी उसके पति के जीवन-काल में घटित होने के कारण से अमान्य हो या जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पत्नी उक्त विवाह के समय जीवित हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होती बशर्ते कि भारत सरकार ने संतुष्ट होकर कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं, उसे छूट दी हो ।

(b) No such woman whose marriage is void by reason of it taking place during the life-time of her spouse or who have married to such a person whose wife is living at the time of marriage shall be eligible for appointment in service unless the Government of India has granted exemption to such a woman in accordance with this rule after being satisfied that there are special grounds for so ordering.

19.इसलिए, नियुक्ति का यह प्रस्ताव नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात नामित आयुक्तालय के विभागाध्यक्ष की संतुष्टि के लिए उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करने पर सशर्त है। यदि, हालांकि, वह उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं करता है और वह किसी भी कारण से उपर्युक्त नियमों से छूट चाहता है, तो अभ्यर्थी को इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को तुरंत एक अभ्यावेदन देना चाहिए। उस स्थिति में, नियुक्ति के इस प्रस्ताव को रद्द

सी. त्यागराजन, भा.रा.से.
C. THIYAGARAJAN, I.R.S.
अपर आयुक्त
Additional Commissioner

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST AND CENTRAL EXCISE
TAMILNADU AND PUDUCHERRY
CHENNAI-600 034

माना जाना चाहिए और यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, उसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यकारी सहायक के पद पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया जाता है, तो उसे उचित समय पर सूचना भेजी जाएगी।

This offer of appointment is, therefore, conditional upon satisfying the requirements mentioned to the satisfaction of the appointing authority i.e. the HoD of the nominated Commissionerate. If, however, they do not fulfil the above conditions and they desires to be exempted from the above-mentioned rules for any reason, the candidates should make a representation to the appointing authority in this behalf immediately. This offer of appointment should, in that case, be treated as cancelled and a further communication will be sent to them in due course, if upon consideration of their representation by the appointing authority, it will be decided to offer them appointment to the post of Executive Assistant of Central Excise.

20. यदि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई घोषणा या सूचना गलत पाई जाती है अथवा यदि पाया जाता है कि उम्मीदवार ने विवाह संबंधी किसी सूचना को जानबूझकर दबा लिया है तो वह अपनी सरकारी सेवा से बरखास्तगी तथा सरकार द्वारा आवश्यक माने जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई का भागी होगा ।

If any declaration/information furnished by them is proved to be false, or if they are found to have wilfully suppressed any marital information, they will be liable for removal from service and other action as Government may deem necessary.

21.यह नियुक्ति प्रस्ताव पूर्ण रूप से अस्थायी है और संबन्धित जिला / पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी पूर्ववृत, संबन्धित जारीकर्ताओं से ईडब्ल्यूएस के मामले में जारी जाति प्रमाण पत्र/आय और संपत्ति प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शिक्षा प्रमाणपत्र, पिछले काम की जगह की संबन्धित जारीकर्ताओं द्वारा जारी सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के अधीन है। संबन्धित अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रतिकूल / नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के मामले में अनंतिम नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप आपराधिक / कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

This offer of appointment is purely provisional and is subject to receipt of the antecedent verification report from the concerned District/ Police Authorities, Caste certificate/Income & Assets Certificate in case of EWS from the concerned issuing authority, verification of certificate of education issued by the University/Competent Authority and Vigilance Clearance Certificate issued by concerned authority at previous working place. In case any adverse / negative report is received from the concerned Authorities, the provisional appointment letter will be cancelled forthwith and other criminal/legal action will also be taken, as a consequence.

22. अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति के साथ नामांकित अंचल /आयुक्तालय में दिनांक **16.05.2025** को या उससे पहले रिपोर्ट करनी होगी ।

सी. त्यागराजन, भा.रा.से.
C. THIYAGARAJAN, I.R.S.
अपर आयुक्त
Additional Commissioner

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST AND CENTRAL EXCISE * TAMILNADU AND PUDUCHERRY * CHENNAI-600 034 *

The candidates shall report for duty at the Office of the nominated Commissionerate **on or before 16.05.2025** with the following documents:

(i) शैक्षणिक योग्यताओं की मूल एवं अनुप्रमाणित प्रति
Original and Self-Attested copies of Educational Qualifications;

(ii) आयु प्रमाण-पत्र की मूल एवं अनुप्रमाणित प्रति
Original and Self-Attested copy of Certificate of Age;

(iii) अ.जा. / .अ.ज.जा / .अ.पि.व .के अभ्यार्थी के मामले में निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र
Caste Certificate in the case of SC/ST/OBC candidate in the prescribed format;

(iv) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के मामले में आय और संपत्ति प्रमाण पत्र।
Income and Assets Certificate in the case of EWS Candidate.

(v) वर्तमान नियोक्ता से कार्यमुक्ति आदेश (यदि लागू हो तो) ।
NOC /Relieving order/ Discharge Certificate from the present employer (if applicable).

(vi) लंबित दस्तावेज (जो दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जैसे चरित्र प्रमाणपत्र/ पहचान प्रमाणपत्र और वैवाहिक घोषणा पत्र ।
Pending Documents (that were not submitted at the time of Document Verification i.e. Character Certificate/ Identity Certificate and Marital declaration form.)

ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वयमेव रद्द हो जाएगा ।
Failing which this offer of appointment will stand automatically cancelled.

23. कार्यभार ग्रहण करने हेतु मांगा गया कोई भी अवधि - विस्तार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1259494-स्था. (डी), गृह मंत्रालय के दिनांक 06.06.1978 के कार्यालय ज्ञापन सं. 9/23/71 - स्था. (डी) एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.08.1995 के कार्यालय ज्ञापन सं. 35016/2/93-स्था. (डी) के प्रावधानों के अध्यधीन विनियमित होगा।

Any extension sought for joining, shall be governed under the provisions of DoPT OM No. 1259494- Estt. (D) dated 09.08.2017, MHA OM no. 9/23/71 – ESTT (D) dated 06.06.1978 and DoPT OM no.35016/2/93-Estt. (D) dated 09.08.1995.

कार्य ग्रहण की अवधि के विस्तार के लिए अनुरोध, यदि कोई हो, तो उस आयुक्तालय को संबोधित किया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार को पैरा 2 में उल्लिखित पते और ईमेल के माध्यम से नामित किया गया है।

The request, if any, for extension of joining time should be addressed to the Commissionerates to which the candidates are nominated through the postal address and email mentioned in Para 2.

सी. त्यागराजन, भा.रा.से.
C. THIYAGARAJAN, I.R.S.
अपर आयुक्त
Additional Commissioner

24. **नियमित तैनाती से पहले नव नियुक्त कार्यकारी सहायकों को संबंधित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।**

The newly appointed Executive Assistants should undergo the mandatory training in Regional Training Institutes concerned as and when they are nominated for such training.

25. उक्त कर्मचारियों के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I - खंड 1 दिनांक 22.12.2003 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मात्रालय की अधिसूचना सं 5/7/2003-ईईसीबी व पीआर दिनांक 22.12.2003 के तहत अधिसूचित नई पेंशन योजना लागू होगी ।

The candidates will be governed by the New Pension Scheme as notified vide Government of India, Ministry of Finance, Notification no. 5/7/2003-EECB & PR dated 22.12.2003 - published in Gazette of India, Extraordinary, Part I - Section 1, dated 22.12.2003.

26. **यह नियुक्ति अनंतिम है और माननीय सीएटी, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में ओए सं. 1102/ 2025 के परिणाम के अधीन है ।**

The appointment is provisional and subject to the outcome of the OA No.1102/2025 filed in Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi.

27. यह आदेश प्रधान मुख्य आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी, तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी अंचल के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

This order is issued with the approval of the Principal Chief Commissioner of GST & Central Excise, Cadre Control Authority, Tamil Nadu and Puducherry Zone.

Digitally signed by
C THIYAGARAJAN
Date: 25-04-2025
10:44:24

(सी. त्यागराजन / C. THIYAGARAJAN)

अपर आयुक्त (प्र. मु. आ. का.) / ADDITIONAL COMMISSIONER (Pr.CCO)

सेवा में / To,

The Individuals

सी. त्यागराजन, भा.रा.से.
C. THIYAGARAJAN, I.R.S.
अपर आयुक्त
Additional Commissioner

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST AND CENTRAL EXCISE
TAMILNADU AND PUDUCHERRY
CHENNAI-600 034

Copy submitted to:

1. अवर सचिव, एडी III (बी), सीबीआईसी, / The Under Secretary, Ad.III (B), CBIC,
   वित्त मंत्रालय, भूतल, हडको विशाला भवन/ Ministry of Finance, Ground Floor, Hudco Vishala Building
   बिकाजी कमा पैलेस, नई दिल्ली / Bhikaji Cama Place, New Delhi-110 066.
2. महानिदेशक, मानव संसाधन एवं विकास महानिदेशालय, एच.आर.एम. – II, 407/8, दीपशिखा बिल्डिंग,
   The Director General, DGHRD, HRM-II, 407/8, Deep Shikha Building,
   राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली / Rajendra Place, New Delhi - 110008

Copy to:

1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, माल और सेवा कर एवं/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,चेन्नई उत्तर / चेन्नई दक्षिण / पुदुच्चेरी / कोयंबत्तूर / तिरुच्चि / सेलम / मदुरै / चेन्नई अपील्स –I / चेन्नई अपील्स –II/ कोयंबत्तूर अपील्स
   The Principal Commissioner/Commissioner of GST & Central Excise,
   Chennai North/ South/ Outer/ Coimbatore/ Trichy / Madurai.

   (नए भर्ती किए गए अधिकारियों जो परिवीक्षा अवधि पर हैं, उनका कार्य निष्पादन बोर्ड के पत्र एफ.सं. ए-32018/13/2019-ए.डी. III.ए दिनांक 09.10.2020 और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/3/2018-स्था.(सी) के अनुसार मानिटर किए जाने की आवश्यकता है।)
   The performance of freshly recruited officers who are on probation period need to be monitored in terms of Board's letter F.No. A-32018/13/2020-Ad.III.A dated 09.10.2020 and DOPT's O.M No. 28020/3/2018-Estt.(C) dated 11.03.2019.)

2. अधीक्षक (कंप्यूटर अनुभाग), प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, चेन्नई - आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए ।
   The Superintendent (Computer Section), Pr.CCO Chennai – for displaying on official zonal website.

3. मास्टर फाईल / अतिरिक्त प्रतिलिपि ।
   Master file/Spare copy.

सी. त्यागराजन, भा.रा.से.
C. THIYAGARAJAN, I.R.S.
अपर आयुक्त
Additional Commissioner

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST AND CENTRAL EXCISE
TAMILNADU AND PUDUCHERRY
CHENNAI-600 034